भूमि के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय नीति।

@*225. **कुमारी सरोज खापर्डे :**
श्री शिव प्रताप मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि के प्रयोग संबंधी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उक्त नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का भी विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में फरवरी, 1986 में आयोजित राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद की बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा पहले ही स्वीकृत कर दी गई है (प्रति संलग्न है)'

(ग) और (घ) राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति में अन्तर्विष्ट 19 सूत्री कार्य योजना सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में परिचालित की गई है ताकि इसका कार्यान्वयन किया जा सके । राज्य स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए राज्य भूमि उपयोग बोर्ड निकट से सम्बद्ध हैं । वर्तमान में भूमि उपयोग नीति के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 85, 27 नवम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजरभूमि विकास परिषद की पहली बैठक में लिये गये निर्णय

भू-उपयोग

1. राज्य स्तर पर भू-उपयोग को पुनः गठित किया जाना चाहिए । जहां भी ऐसे बोर्ड नहीं हैं उनका अवश्य ही सृजन किया जाना चाहिए ।

2. सरकारी भूमि का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भू-उपयोग की नीति अवश्य तैयार की जानी चाहिए जिसे भू-उपयोग के प्रवर्तन संबंधी विधेयक तथा उनकी संवर्धनात्मक परिरक्षण/प्रोत्साहन प्रणालियों दोनों के आधार पर लागू किया जाए ।

3. शहरी नीति का अवश्य पुनर्निर्माण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक उपज देने वाली भूमि अछूत नहीं की गई । हरित पट्टियों के लिए शहरी आयोजना की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4. संशोधित भू-उपयोग नीति के अनुरूप कार्य करने की जरूरत के संबंध में किसानों और सरकारी विभागों को शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए ।

5. विशेष रूप से सूखा ग्रस्त/रेतीले इलाकों में फसल पद्धति की संविक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्नत मृदा और जल प्रबंध प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके ।

6. भूमि और मृदा सर्वेक्षणों का काम पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य में भू-संसाधनों की एक तालिका तैयार की जानी चाहिए ताकि संसाधनों का आवंटन विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर किया जा सके ।

7. भू-संसाधनों तथा उसकी उत्पादकता में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों पर भारी

जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह मानना पड़ेगा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पर्यावरण संबंधी संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. जलाक्रान्ति, खारेपन और क्षारीयता की समस्याओं की उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल तथा उचित जल प्रबंध प्रणालियां अपनाने के जरिए नियंत्रित किया जाना चाहिए।

9. कमान क्षेत्रों की प्रबंध व्यवस्था का निर्धारित अवधि के अंतर्गत पुनरीक्षण, पुनर्गठन तथा पुनः संचालन किया जाना चाहिए ताकि जल का सक्षमता से उपयोग किया जा सके। समय से पूर्व गाद जमा हो जाने की वजह से सिंचाई प्रणाली को नष्ट होने से बचाने के लिए अवक्षण क्षेत्रों के उपचार के लिए आवश्यक निवेश करना जरूरी है।

10. नमी के संरक्षण के हित में तथा इसका इष्टतम उपयोग करने के लिए बारानी भूमि को समतल बनाने तथा जल संचयन की प्रौद्योगिकियों का अनिवार्य रूप से प्रचार करना चाहिए तथा उन्हें अपनाया जाना चाहिए।

11. वायु एवं जल अपरदन को रोकने के लिये रेतीले इलाकों में संरक्षण और वन रोपण तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के पुनः सुधार तथा पुनः स्थापना के विशेष कार्यक्रमों को अधिक तेजी से शुरु किया जाये।

12. मूल्यवान वनों की सुरक्षा के लिए झूम खेती की पद्धति को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

13. भू-उपयोग आयोजना को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ इस तरीके से समन्वित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं उत्पादक कार्यों के लिए ऋण और राजसहायता प्रदान की जाए जो भूमि का कुशल उपयोग करते हों।

14. सामान्य भूमि पर जनजातीय और कमजोर वर्ग लोगों के अधिकारों की कानूनी और प्रशासनिक तंत्रों के जरिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

15. स्टाल चारे को विशेष रूप से उन इलाकों में जहां चारागाह भूमि का पहले ही अवक्रमण हो चुका है, लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

16. चुनींदा खंडों में विशेष चारा विकास कार्यक्रमों को पशुधन विकास कार्यक्रमों के साथ शुरू किया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक रूप से उत्पादक स्टाक के लिए पशुधन को सीमित संख्या में रखा जाए।

17. वाणिज्यिक और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिहायशी स्थानों से दूर बागान लगाना बेहतर होगा।

18. गांव के कमजोर वर्ग के अलावा अन्य उत्पादकों की सहायता के आधार पर वन संबंधी कच्चे माल की सप्लाई करने की नीति की संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि इन उत्पादकों को व्यापक वन रोपण कार्यक्रम शुरू करने तथा छोटे और सीमांत किसानों को लाभकारी मूल्यों पर उद्योग के लिए वन पर आधारित कच्चा माल पैदा करने के लिए प्रेरित करने के विचार से मौजूदा बाजार मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई की जा सके।

19. लकड़ी की पैकिंग के स्थान पर वैकल्पिक पैकिंग सामग्री जैसे कि कोरुगेटिड कार्ड बोर्ड, प्लास्टिक की थैलियों आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

Decentralisation of Central Water Commission

*226. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RANJIT SINGH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently decided to